

प्रेषक

हनु कुमार पाण्डे,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

बेहरावन: दिनांक: 20 अप्रैल, 2009

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश
महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सफल क्रियान्वयन के लिये मानव संसाधनों के रूप में लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी व विभागीय अपीलीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन अधिकारियों का समुचित नामांकन अधिनियम के क्रियान्वयन के लिये पहला आवश्यक कदम है जिसके सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 29 जुलाई, 2005 द्वारा इन अधिकारियों को नामित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

2- शासन की जानकारी में यह बात लायी गयी है कि सरकार द्वारा गठित जॉच आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी व विभागीय अपीलीय अधिकारियों का नामांकन नहीं किया गया है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि जॉच आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(ज) (घ) के अधीन लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आते हैं। जॉच आयोग के अधीन गोपनीय व सामान्य दोनों सूचनाएँ हो सकती हैं, ऐसी दशा में लोक प्राधिकारी होने के कारण आयोग में लोक सूचना अधिकारी व विभागीय अपीलीय अधिकारी को अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप नामित किया जाना आवश्यक है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे अनुरोध करने का निवेश हुआ है कि विभिन्न प्रशासकीय विभागों के अधीन गठित समान आयोगों को लोक प्राधिकारी के रूप में चिन्हित करते हुए अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से कृपया शासन व आयोग को सूचित करें।

भवदीय

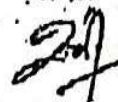
(हनु कुमार पाण्डे)
मुख्य सचिव,

संख्या-251/xxxi(13)/G/2009 तबदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलाध्यक्ष, गढ़वाल/कुमायूँ, पौड़ी/मैनीताल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. उप सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
5. निवेशक एम0 आर्ष सी0 परिसर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस शासनादेश को उत्तरापोर्टल में अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(सन्तोष बठोनी)

अनु सचिव।